ग्राम पंचायत शाहपुर, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016
भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत शाहपुर, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री कमल किशोर	01.04.13 से 22.01.16
2	श्रीमती अरूणा रानी	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री नैतिक डोगरा	1.4.13 से 15.8.15
2	श्री प्रवीण कुमार	16.8.15 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत शाहपुर के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का सार	₹ लाखों में
1	6	खाता (ख) में अर्जित ब्याज को खाता (क) में अन्तरित न करना	0.79
2	7	अनुदान का उपयोग न करना	19.55
3	10	औपचारिकताएँ पूर्ण किए बिना खरीद	15.06

भाग–दो

2 **वर्तमान अंकेक्षणः–**

ग्राम पंचायत शाहपुर, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरबीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 5.10.16 से 17.10.16 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत

जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 6/13, 6/14 व 10/15 तथा 12/13, 6/14 व 10/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत शाहपुर, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 173 दिनांक 17.10.16 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत शाहपुर से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत शाहपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(1) स्वः स्त्रोतः– ग्राम पंचायत शाहपुर के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	46542.45	773006	819548.45	785619.7	33928.75
2014–15	33928.75	439033	472961.75	241466.9	231494.85
2015–16	231494.85	172020	403514.85	318196.98	85317.87

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत शाहपुर के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	216441	5689265	5905706	5483986.70	421719.30
2014–15	421719.30	4199429	4621148.30	3800872.30	820276
2015–16	820276	5134207.31	5954483.31	3999000.31	1955483
		स्वःस्त्रोत व अनुदान राशि का कुल योग (1+2)			**₹2040800.87**

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरणः–

क्रमांक	**निधि**	**शाहपुर स्थित के0सी0सी0 बैंक, खाता सं0**	**राशि**
1	VKVNY	50055751100	27721
2	IAY	50055751202	436
3	MPLAD	50055751122	117517
4	RAY	50055751224	64
5	TSC	50055751155	45761
6	3rd, 13th Finance	20040016366	1636158
7	Sabha (सभा)	894100037232	85203.87
8	VMIS	65170272103	104251
9	SDP	65166568266	23575
10	MDNREGA	894000101333446	शून्य
		कुल	**₹2040686.87**

(1) अन्तशेष का विवरणः–

(क)	दिनांक 31.3.16 की वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष	₹2040800.87
(ख)	दिनांक 31.3.16 को बैंक में कुल जमा राशि	₹2040686.87
(ग)	**हस्तगत राशि**	**₹114**

5 रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई क्रम संख्या 01 से 50 में वर्णित आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह नियम–3 में क्रम संख्या 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख जाना जायेगा परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत की अपनी आय व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ बही तैयार की गई है जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 खाता "ख" में अर्जित ₹0.79 लाख ब्याज को खाता "क" में अन्तरित न किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है।

परन्तु बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्नविवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" से सम्बन्धित बचत खातों में अर्जित ब्याज को उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता "क" में अन्तरित नहीं किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को तुरन्त खाता "ख" के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

		वर्ष		
खाता संख्या	**2013–14**	**2014–15**	**2015–16**	**कुल ब्याज (₹)**
894000101333446	4840	84	–	4924
65166568266	2454	1448	3472	7374
65170272103	685	1888	2449	5022
20040016366	7549	7600	28431	43580
50055751155	–	1497	2074	3571
50055751224	–	62	2	64
50055751122	1534	917	3801	6252
50055751202	1689	717	135	2541
50055751100	33	3803	1729	5565
जोड़	**18784**	**18016**	**42093**	**78893**

7 अनुदान ₹19.55 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1955483 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8 कर माँग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्व स्त्रोत, जैसे कि गृहकर, भू राजस्व इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित माँग व एकत्रीकरण रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जाँच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में करों की कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पंचायत से सम्बन्धित उक्त अभिलेख

को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त सम्बन्धित अभिलेख तैयार करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को तैयार न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा फार्म 8 में वर्गीकृत सार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाना अपेक्षित है। जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जायेगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹15.06 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹1506254 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकता को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 सहभागी समिति गठित किए बिना ₹21.81 लाख के कार्य निष्पादन बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 के अनुसार प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए पृथक सहभागी समिति गठित की जाएगी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मामलों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹21.81 लाख का व्यय बिना सहभागी समिति के गठन के किया गया। अतः निर्माण कार्यों का निष्पादन बिना सहभागी समिति के गठन के कारण

स्पष्ट किए जाएं तथा भविष्य में प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए सहभागी समिति गठित की जानी सुनिश्चित की जाए।

12 अभिलेख का अंकेक्षण में प्रस्तुत न किया जाना:–

सामान्य रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 38 व 39 पर निम्न व्यय का ब्यौरा दर्शाया गया था लेकिन इनसे सम्बन्धित बिल वाउचर अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः पंचायत द्वारा उक्त अभिलेख को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना हेतु सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	वा0सं0 / दि0	विवरण	राशि
1	81 / 17.12.13	शौचालय की टंकी बिल का भुगतान	1500
2	82 / 17.12.13	आकस्मिक भुगतान	1400
3	84 / 20.12.13	चाय पान का भुगतान	650
		कुल	**₹3550**

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेख का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
4	मासिक समाधान विवरणी	15	–
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर	7	29 (1)
6	खाते मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

14 प्रत्यक्ष सत्यापन:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 75 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन

नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

16 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 53/2016–खण्ड–1–1761–1764 दिनाँकः 23.03.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत शाहपुर, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

ग्राम पंचायत शाहपुर विकास खण्ड रैत (कांगड़ा) द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

(परिशिष्ट–2) (पैरा–10 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	वा0सं0/दिनांक	निधि/सामान्य कैश बुक	विवरण	राशि
1	26/9.7.13	टडै सभा निधि	मै0 हिमाचल ड्रिलरज को हैन्ड पम्प लगाने का भुगतान	221300
2	42/9.9.13	सभा निधि	मै0 विशाल शर्मा द्वारा सप्लाई किए गए रेत, बजरी शटरिंग आदि का भुगतान	61738
3	40/1.9.13	सभा निधि	मै0 सागर हेडरर्ज द्वारा सप्लाई किए गए अल्मूनियम के सामान का भुगतान	36781
4	74/6.12.13	सभा निधि	मै0 शर्मा उत्तम चन्द अनूप नाग शाहपुर द्वारा सप्लाई किए गए सरिया का भुगतान	40940
5	75/6.12.13	यथोपरि	मै0 मन्हास इन्टरप्राईजिज द्रमण द्वारा सप्लाई किए गए रेत, पत्थर आदि का भुगतान	64500
6	76/6.12.13	सभा निधि	मै0 अभिशेक ट्रेडरज शाहपुर द्वारा सप्लाई किए गए सरिया का भुगतान	30948
7	77 से 78/6.12.13	सभा निधि	मै0 राहुल शर्मा बिल्डिंग मटीरियल द्वारा सप्लाई किए गए रेत, बजरी आदि का भुगतान	(i) 37250 (ii) 31000 524457
8	86/20.12.13	सभा निधि	मै0 मन्हास इन्टरप्राईजिज द्रमण द्वारा रेत, बजरी आदि का भुगतान	61700
9	88/20.12.13	यथोपरि	मै0 राहुल शर्मा बिल्डिंग मटीरियल द्वारा सप्लाई रेत, बजरी क्रशर आदि का भुगतान	39000
10	94/9.1.14	यथोपरि	–यथोपरि–	58700
11	21/9.6.14	यथोपरि	मै0 श्री गगन सिंह सप्लायर्ज द्वारा सप्लाई रेंत, बजरी का भुगतान	25500
12	24/16.6.14	यथोपरि	मै0 मन्हास इन्टरप्राईजिज द्रमण द्वारा सप्लाई रेत, बजरी शटरिंग का भुगतान	68344
13	27/16.6.14	यथोपरि	मै0 सुरिन्द्रा कुमार वोट वैल की बोर बैल लगाने का भुगतान देय राशि 207125 भुगतान 150000 भुगतान ₹57125	207125
14	28/21.6.14	यथोपरि	मै0 गगन सिंह द्वारा सप्लाई किए गए रेत, बजरी शटरिंग का भुगतान	30660
15	22/6.5.15	सामान्य SDP (सभा निधि)	मै0 साईं हार्डवेयर द्वारा सप्लाई किए गए लोहे का सामान (खेल मैदान में स्टेज बनाने के लिए)	124660
16	33/27.6.15	सभा निधि	मै0 संजय कुमार पुहाड़ा द्वारा सप्लाई रेत, बजरी की सप्लाई का भुगतान	70300

17	89 / 20.10.15	–यथोपरि–	मै0 सूर्या शक्ति इनरजी शिष्टम दाड़ी द्वारा सप्लाई की गई 6 सोलर लाईटें का सामान का भुगतान	139600
18	130 / 28.12.15	सामान्य डच्स-।क	मै0 सूर्या शक्ति इनरजी शिष्टम द्वारा सप्लाई की गई 2 सोलर लाईट का भुगतान	38238
19	131 / 31.12.15	–यथोपरि–	मै0 विश्वकर्मा प्लास्टी वुड डेार इन्डस्ट्रीज धर्मशाला द्वारा लगाए गए खिड़की दरवाजों का भुगतान	34650
20	106 / 20.12.13	मनरेगा	मै0 राहुल शर्मा द्वारा सप्लाई रेत, बजरी शटरिंग आदि का भुगतान	37650
21	1 / 9.6.14	मनरेगा	मै0 मामा जम्बल बिल्डिंग मटिरियल सप्लाई द्वारा सप्लाई रेत, बजरी का भुगतान	13750
22	2 / 9.6.14	–यथोपरि–	–यथोपरि–	31920
				1506254

सहभागी समिति गठित किए बिना कार्य निष्पादन

(परिशिष्ट–3) (पैरा–11 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	कार्य का नाम	निधि	राशि
1	निर्माण पुली बन्दल खडड	ZP	500000
2	निर्माण समुदायक भवन हरिजन सुधार सभा	SCSP	500000
3	निर्माण हैण्ड पम्प सिहोल पुरी	VMJS	221400
4	निर्माण पुली बन्दल खडड	VMJS	300000
5	निर्माण स्टेज नजदीक शाहपुर व0मा0 पाठशाला	शाहपुर SDP	300000
6	निर्माण महिला मण्डल सिहोल पुरी	VKVNY	200000
7	निर्माण रास्ता शाहपुर स्कूल से सुशील शर्मा के घर तक		160000
	कुल		**₹2181400**